न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 15/2004/223 आर टी ए

1. मुखराम पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–– अपीलांट

बनाम

1. जस्सूराम पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2004 न्यायालय सहायक कलक्टर रावतसर प्रकरण संख्या 41/2000 अनवानी मुखराम बनाम जस्सूराम आदि

उपस्थित :–
श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता अपीलांट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–29.05.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश किया कर वादग्रस्त भूमि जो सन् 1955 से पूर्व की भूमि की श्रेणी मे आती है जिसे अपीलांट धारा 15एएए (2क) आरटीए के तहत निःशुल्क खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है इसी आधारो पर भूमि का खातेदार घोषित करने व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा गया। जिसमे प्रतिवादी स्टेट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 1 का बतौर अतिक्रमी कब्जा है तथा वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कोई हक हिस्सा नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वाद वादी/अपीलांट खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत पारित की गई है। अपीलांट ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से इस तथ्य को पूर्णतया साबित किया है कि विवादित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 1 के कब्जा काश्त मे लगातार सम्वत 2007 से चली आ रही है व भूमि इन्द्रिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे स्थित होने के कारण धारा 15एएए के तहत खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को अनदेखा करके वाद खारिज कर दिया। रेस्पो0 सं. 2 ने अपने जवाबदावा मे इस तथ्य को स्वीकार किया है कि गिरदावरी सम्वत 2038 मे अपीलांट की काश्त दर्ज है व खसरा गिरदावरी सम्वत 2026 से 2030 मे भी अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 की काश्त दर्ज है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 की उक्त स्वीकृति को अनदेखा करके अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलांट ने अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबंदी प्रदर्श पी 1, नकल सर्वे खसरा प्रदर्श पी 2, नकल खसरा परिवर्तन सूची सं. 4 प्रदर्श पी 4 से साबित किया है व रेस्पो0 सं. 1 द्वारा उक्त वाद का कोई विरोध नही किया गया है व रेस्पो0 सं. 2 द्वारा जवाबदावा मे अपीलांट का कब्जा स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 सं. 2 द्वारा कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालश ने उक्त विधिक स्थिति को अनदेखा करके वाद खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 मिली भगत कर दावा पेश किया गया था जो महज राजकीय भूमि को हड़पने मात्र की साजिश है। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 वादग्रस्त भूमि की खातेदारी हक पाने के अधिकारी नही है, क्योंकि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 का लगतार कब्जा काश्त नही है। खसरा गिरदावरी 2035 से 38 मे सम्वत 2035 तथा 2037 मे पूर्ण पुत्र डूंगर जाट की नाजायज काश्त दर्ज है तथा 2038 मे जसू, बीरबल पि0 बस्ती जाट की नाजायज काश्त दर्ज है ना ही मुखराम, जसू पि. बस्ती जाट के नाम काश्त रही है। विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की है जो सही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील स्वीकार की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए के तहत पेश कर कथन किया कि ''वादग्रस्त भूमि जो सन् 1955 से पमर्व की भूमि की श्रेणी मे आती है जिसे अपीलांट

धारा 15एएए (2क) आरटीए के तहत निःशुल्क खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है इसी आधारो पर भूमि का खातेदार घोषित करने व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा गया।'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का वाद यह उल्लेखित करते हुए खारिज कर दिया कि ''प्रस्तुत रिकार्ड से यह कही साबित नही होता है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का सम्वत 2012 से लगतार एवं निर्विवाद कब्जा रहा हो। जबकि धारा 15एएए(2क) आरटीए मे सम्वत 2012 से लगातार कजा काश्त होना आवश्यक है।'' अपीलांट के कथनानुसार ''वादग्रस्त भूमि जो सन् 1955 से पूर्व की भूमि की श्रेणी मे आती है जिसे अपीलांट धारा 15एएए (2क) आरटीए के तहत निःशुल्क खातेदारी प्राप्त करने के आधार पर भूमि का खातेदार घोषित करने व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा गया।'' चूंकि वादग्रस्त भूमि सन् 1955 से पूर्व की है तथा प्री–55 की भूमि के संबंध मे 15एएए आरटीए के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर निःशुल्क खातेदारी दिये जाने के प्रावधान किये गये है परन्तु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 15एएए आरटीए के तहत प्रस्तुत नही किया गया बल्कि प्री–55 की भूमि के संबंध मे धारा 88 व 188 आरटीए के तहत वाद प्रस्तुत किया गया जो विधिपूर्ण नही है, क्योंकि प्री–55 की भूमि के संबंध मे धारा 15एएए आरटीए के तहत आवेदन प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य है। परन्तु अपीलांट अगर चाहे तो वादग्रस्त भूमि के संबंध मे धारा 15एएए आरटीए के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही कर सकता है जिसके अपीलांट स्वतंत्र है।

6. अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2004 को यथावत रखा जाता है। इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि जो प्री–55 की है, के संबंध मे धारा 15एएए आरटीए के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते है तो 15एएए आरटीए के तहत प्रकरण मे कार्यवाही करते हुए प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़